रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24—मई 30, 2008 (ज्येष्ठ 3, 1930)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24—MAY 30, 2008 (JYAISTHA 3, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2008

बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 69/12.01.001/2007-2008--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 30 अक्तूबर 2007 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि.सं.आरईटी बीसी.45/12.01.001/2007-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का प्रतिशत नीचे उल्लिखित तारीखों से, उनके सामने दिए गए अनुसार होगा :--

प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)	निवल मांग तथा मियादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
26 अप्रैल 2008	7.75
10 मई 2008	8.00

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 29 अप्रैल 2008

बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी.78/12.01.001/2007-2008--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 21 अप्रैल 2008 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी.69/12.01.001/2007-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), 24 मई 2008 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से उसकी निवल मांग तथा मियादी देयताओं के 8.25 प्रतिशत होगा।

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

बार कौंसिल ऑफ इन्डिया

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 13/14 अप्रैल 2008

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने दिनांक 13 और 14 अप्रैल, 2008 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सदस्यों को क्रमश: अध्यक्ष और

उपाध्यक्ष चुना और निम्नलिखित संकल्प पारित किया :--

संकल्प संख्या 55/2008

संकल्प किया गया कि श्री सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा, सदस्य, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को दिनांक 17.04.2008 से भारतीय विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष चुना जाता है।

संकल्प संख्या 56/2008

संकल्प लिया गया कि श्री जय राम बेनीवाल, सदस्य, एवं वर्तमान उपाध्यक्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद् को दिनांक 17.04.2008 से भारतीय विधिज्ञ परिषद् का पुन: उपाध्यक्ष चुना जाता है।

एस. राधाकृष्णन
सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अनुसूची

1. नाम :
2. पता :
   टेलीफोन नं. :
   ई मेल आई डी :
3. (क) नामांकन संख्यांक :
   (ख) नामांकन की तारीख :
   (ग) राज्य विधिज्ञ परिषद् का नाम जिससे मूलरूप से नामांकित हैं। :
   (घ) राज्य विधिज्ञ परिषद् का नाम जिसकी सूची में नाम इस समय दर्ज है। :
   (ङ) बार एसोसियेशन का नाम जिसमें अधिवक्ता सदस्य है :
4. वृत्तिक और शैक्षणिक अर्हताएं :
5. विधि व्यवसाय कार्य (उदाहरणार्थ) सिविल, दांण्डिक, कराधान, श्रम आदि। :

नाम और हस्ताक्षर

घोषणा :

यह घोषित किया जाता है कि दी गई जानकारी सत्य है।

नाम और हस्ताक्षर

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम के खण्ड 4 अध्याय 2 भाग 6 में नियम 36 का संशोधन :--

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने 24 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ताओं द्वारा विज्ञापन पर प्रतिबन्ध से संबंधित खण्ड 4 अध्याय 2 भाग 6 में नियम 36 का संशोधन किया है। उक्त नियम से संबंधित संकल्प निम्नलिखित हैं :--

संकल्प संख्या 50/2008

संकल्प किया जाता है कि संयुक्त परामर्शी सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प के अनुसार एक परन्तुक को सम्मिलित करते हुए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम के खण्ड 4 अध्याय 2 भाग 6 में नियम 36 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए और उसका इसके द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

खण्ड 4 अध्याय 2 भाग 6 में नियम 36 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :--

परन्तु यह कि यह नियम भारतीय विधिज्ञ परिषद् को सूचित किए जाने और उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने पर अनुसूची में यथा विहित वैबसाइट सूचना देने वाले अधिवक्ताओं के आड़े नहीं आएगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों से भिन्न किसी अतिरिक्त विशिष्टि को नियम 36 का अतिक्रमण माना जाएगा और ऐसे अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन अवचार के लिए अभियोजित किया जा सकेगा।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1) (झ) भाग आठ के अधीन विरचित नियमों के अधीन 2 और 3 फरवरी, 2008 को प्रभार्य पुनरीक्षित फीस का ढांचा।

परिषद् ने 2 और 3 फरवरी, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में श्री शैलेन्द्र दुबे, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधिज्ञ परिषद् से प्राप्त तारीख 27.12.2007 के पत्र पर जो निर्वाचन को चुनौती देने के लिए फीस के संबंध में है, विचार किया और विचार किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित संकल्प पारित किया :--

संकल्प संख्या 32/2008

विभिन्न विधिज्ञ परिषदों के इस अनुरोध पर विचार करते हुए कि निर्वाचन याचिकाओं के लिए फीस 10,000/- रुपये की जाए और वर्तमान में धन के मूल्य और विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचनों पर विचार करते हुए और निर्वाचन के परिणामों पर विचार करते हुए और चूंकि यह प्रस्ताव विभिन्न विधिज्ञ परिषदों से प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा यह संकल्प किया जाता है कि निर्वाचन याचिकाएं फाइल करने के लिए फीस जो इस समय भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम की फीस अनुसूची में विहित है, रुपये 750/- से बढ़ाकर रुपये 10,000/- कर दी जाए।

एस. राधाकृष्णन
सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद्

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 21st April 2008

No. DBOD. No. Ret. BC. 69/12.01.001/2007-2008—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and in partial modification of its notification DBOD. No. Ret. BC. 45/12.01.001/2007-08 dated October 30, 2007, the Reserve Bank of India hereby notifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every Scheduled Commercial Bank shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (i.e., the fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
April 26, 2008	7.75
May 10, 2008	8.00

ANAND SINHA
Executive Director

The 29th April 2008

No. DBOD. No. Ret. BC. 78/12.01.001/2007-2008—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and in partial modification of its notification DBOD. No. Ret. BC. 69/12.01.001/2007-08 dated April 21, 2008, the Reserve Bank of India hereby notifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every Scheduled Commercial Bank shall be 8.25 per cent of its net demand and time liAbilities from the fortnight beginning from May 24, 2008.

ANAND SINHA
Executive Director

BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 13/14th April 2008

The Bar Council of India at its meeting held on 13th & 14th April, 2008 elected the following Members as Chairman and Vice Chairman of Bar Council of India respectively and passed the following Resolution :—

RESOLUTION NO. 55/2008

"RESOLVED that Shri Suraj Narain Prasad Sinha, Member, Bar Council of India be and is hereby elected as Chairman of the Bar Council of India for the term commencing from 17.4 2008".

RESOLUTION NO. 56/2008

"RESOLVED that Shri Jai Ram Beniwal, Member and present Vice Chairman, Bar Council of India be and is hereby re-elected as Vice-Chairman of the Bar Council of India for the term commencing from 17.4.2008".

S. RADHAKRISHNAN
Secy., Bar Council of India

SCHEDULE

1. Name :
2. Address :
   Telephone Numbers :
   E-mail id :
3. (a) Enrolment Number :
   (b) Date of Enrolment :
   (c) Name of State Bar Council where originally enrolled :
   (d) Name of the State Bar Council on whose roll name stands currently :
   (e) Name of the Bar Association of which the Advocate is Member :
4. Professional and Academic Qualifications :
5. Areas of Practice :
   (E.G. : Civil, Criminal, Taxation, Labour, etc.)

(NAME & SIGNATURE)

Declaration :

I hereby declare that the information given is true.

(NAME & SIGNATURE)

Amendment of Rule 36 in Section IV, Chapter II, Part VI of the Bar Council of India Rules.

Bar Council of India at its meeting held on 24th March, 2008 amended its Rule 36 in Section IV, Chapter II, Part VI relating to the ban on advertisement by advocates. Resolution amending the said Rule is given below :

RESOLUTION NO. 50/2008

"RESOLVED that the following amendment of Rule 36 in Section IV, Chapter II, Part VI of the Bar Council of India Rules by incorporating a proviso in terms of resolution passed by the Joint Consultative Conference be and is hereby approved".

The following proviso be added to Rule 36 in Section IV, Ch. II, Part VI.

"PROVIDED that this Rule will not stand in the way of advocates furnishing website information as prescribed in the schedule under intimation to and as approved by the Bar Council of India. Any additional other input in the particulars than approved be the Bar Council of India will be deemed to be violation of Rule 36 and such advocates are liable to be proceeded with misconduct under Section 35 of the Advocates Act, 1961".

The revised fee structure chargeable under the Rule in Part VIII framed under Section 49(1)(h) of the Advocates Act, 1961 on 2nd & 3rd February, 2008.

The Council at its meeting held on 2nd & 3rd February, 2008 considered the letter dated 27.12.2007 received from Shri Shailendra Dubey, Member, Bar Council of Chhattisgarh regarding fees for challenging the election and after consideration the following Resolution was passed :

RESOLUTION NO. 32/2008

"While considering the requests of various Bar Councils for fixing of the fees for election petition as Rs. 10,000/- and considering the present money value and importance of the Bar Council election and the consequence of an election and since the requests have come from various Bar Councils, IT IS HEREBY RESOLVED to enhance fee for filing election petition from Rs. 750/- at present prescribed in the Schedule of fees given in the Bar Council of India Rules to Rs. 10,000/-."

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008